आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 10/2017–2018

अजय कुमार वनाम् राजेन्द्र यादव एवं अन्य

आदेश

21/03/20 आवेदक अजय कुमार, पिता–स्व० कामेश्वर यादव, साकिन–अषाढ़ी, पोस्ट–केयाल, थाना–करपी, ओ० पी०–शहर तेलपा,, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि को नापी करने, दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहद्दी
27	2729	08 डी० में पूरब तरफ में से 10 फीट लम्बा तथा 08 फीट चौड़ा पर विवाद	–
342	8130	12 डी० में से दक्षिण तरफ 90 फीट लम्बा तथा 10 फीट चौड़ा पर विवाद	–

अवस्थित मौजा–केयाल, अंचल+थाना–करपी, ओ० पी० शहर तेलपा, जिला–अरवल।

वाद की प्रविष्टी की गई। प्रतिवादीगण को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि वादी का खतियानी भूमि है जिसका डिमांड वादी के बड़े दादा स्व० स्व० कारू यादव के नाम से कायम है जिसका राजस्व रसीद 2011–2012 तक निर्गत है।

(2) विवादित भूमि के पूरब तरफ प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा कर के दिवाल उठाना चाहते है।

(3) खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–2729, रकवा–05 डी० उतर–चन्द्रशेखर, दक्षिण–केलास सिंह, पूरब–राजेन्द्र यादव, पश्चिम–मानदीप यादव एवं खाता संख्या–342, प्लॉट संख्या–8130, रकवा–12 डी० उतर–रामाधार सिंह, दक्षिण–राजेन्द्र यादव एवं नागेन्द्र यादव, पूरब–सड़क, पश्चिम–चन्द्रशेखर सिंह। कुल 20 डी० खतियानी भूमि है।

(4) विपक्षीगण अशांत, उपद्रवी, उदण्ड, लठैत, झगलारू तथा असमाजिक तत्व से साठ गॉठ रखने वाला व्यक्ति है जो जबरदस्ती दिवाल उठाना चाहते है जिसे कभी भी मारपीट एवं खुन खराबा हो सकती है।

(5) विवादित भूमि की पहले नापी न्यायालय द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री पी० सी० महाराज एवं सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री रामगोविन्द सिंह के द्वारा कराया गया।

(6) विवादित भूमि का नापी पूनः अंचल अमीन अरवल एवं अंचल अमीन सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के संयुक्त टीम द्वारा किया गया। अधिवक्ता आयुक्त का नापी प्रतिवेदन एवं अंचल अमीन का नापी प्रतिवेदन दोंनों एक है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नापी प्रतिवेदन संपुष्ट करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) संयुक्त पैमाईश प्रतिवेदन बिल्कुल त्रुटिपूर्ण अधारहीन एवं वादी के मेल में आकर दाखिल

किया गया है।
(2) विवादित भूमि की पैमाईश कार्य करने दोंनों अंचल अमीन निर्धारित तिथि को 03 बजे पहूँचे और एक धंटे में ही पैमाईश कार्य पूरा किया।
(3) दोंनों अंचल अमीन पैमाईश पर वादी के साथ दबंगता पूर्वक बात करते थे जिससे प्रतीत होता है कि वे दोंनों जमीन पैमाईश करने नही आये थे केवल खाना पूर्ति करने आये थे।
(4) संयुक्त पैमाईश प्रतिवेदन के पारा संख्या–02 एवं 04 में प्लॉट पैमाईश करने के लिए मुस्तिकिल कायम करने की बात कहा गया है जो कि बिल्कुल असत्य है। कही भी पैमाईश कार्य में मुस्तिकिल कायम नही किया गया है जो नापी प्रतिवेदन दाखिल किया गया है वह बिल्कुल असत्य है। केवल टेबुल पर बैठकर नापी प्रतिवेदन बनाया गया है।
(5) संयुक्त पैमाईश प्रतिवेदन के निष्कर्ष में उन्होने लिखा है कि प्लॉट संख्या–8130 का रकवा–5.12 वर्गकड़ी द्वितीय पक्ष के प्लॉट संख्या–8131 में प्लॉट संख्या–2729 का रकवा–637.05 वर्गकड़ी, द्वितीय पक्ष के प्लॉट संख्या–8131 में मिला हुआ है जो बिल्कुल असत्य है।
(6) प्रतिवादीगण ने अपने भूमि का पैमाईश 2016–2017 में अंचल कार्यालय करपी के नापी वाद संख्या–13/2016–2017 द्वारा कराया गया था जिसमें अंचल अमीन करपी द्वारा अपने नापी प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि प्लॉट संख्या–8131 का उतर पूरब कोण पर 19 फीट भूमि एवं उतर–पश्चिम कोण पर 19.50 फीट भूमि, प्लॉट संख्या–8131 का उतर पाया गया जिसे ईट पिलर गड़वा दिया गया जिसे स्पष्ट होता है कि प्लॉट संख्या–8131 का भूमि प्लॉट संख्या–8130 में मिला हुआ है।
(7) संयुक्त नापी प्रतिवेदन एवं अंचल अमीन करपी के नापी वाद संख्या–13/16–17 के नापी प्रतिवेदन में काफी अंतर है जिसे स्पष्ट है कि संयुक्त नापी प्रतिवेदन बिल्कुल झूठा एवं बनावटी प्रतिवेदन है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नापी प्रतिवेदन को खारीज किया जाये।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। वादी ने विवादित भूमि से संबंधित खाता संख्या–27, खेसरा संख्या–2729, रकवा–08 डी० का खतियान का बाजप्ता नकल की छाया प्रति दाखिल किया है जो गोखुल अहीर, पिता–शिव चरण अहीर के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादीगण ने अपने भूमि से संबंधित केवाला, राजस्व रसीद, अंचल अधिकारी करपी का नापी प्रतिवेदन, नापी नोटिस दखल कब्जा का नोटिस, दखल कब्जा का आवेदन एवं अनुमंडल दण्डाधिकारीअरवल के न्यायालय का आदेश तथा स० अ० नि० करपी (शहर तेलपा) ओ० पी० अरवल का जॉच प्रतिवेदन का छायाप्रति दाखिल किया है। प्रतिवादी ने अपने मॉ के नाम से खाता संख्या–308, प्लॉट संख्या–8131, रकवा–04 कटा भूमि भुनेश्वरी सिंह, पिता–रामदेव सिंह से वसीका संख्या–7617 से दिनांक 09.08.1954 से खरीदगी भूमि पर दावा करते है। अनुमंडल दण्डाधिकारी अरवल के न्यायालय में खाता संख्या–342, प्लॉट संख्या–8130, रकवा–12 डी० पर धारा 144 द० प्र० सं० की कार्रवाई के आलोक में आरक्षी सहायक प्रभारी शहर तेलपा ओ० पी० अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि प्रतिवादीगण की भूमि को अंचल अधिकारी, करपी के नापी प्रतिवेदन के आलोक में दखल कब्जा दिलाया गया। अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय द्वारा खाता संख्या–342, प्लॉट संख्या–8130, रकवा–12 डी० पर धारा 144 द० प्र० स० वाद संख्या–179/2017 अजय कुमार वनाम् राजेन्द्र यादव वगैरह संचालित किया गया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रत्युतर में कहा है कि उक्त खाता, प्लॉट के भूमि से हमलोंगों को कोई मतलब नही है जो वादी प्लॉट संख्या–8131 को अपना बताकर विवाद उत्पन्न कर रहे है जबकि प्रतिवादी को खाता संख्या–308, प्लॉट संख्या–8131 पर शांति दखल कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद का कोई संचालन का विधिक औचित्य नही है। वाद की कार्यवाई समाप्त की गई।

न्यायालय द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री पी० सी० महाराज एवं श्री गोविन्द सिंह से विवादित भूमि की नापी कराई गई। दोंनों अधिवक्ता आयुक्त द्वारा अलग–अलग नापी प्रतिवेदन दाखिल किया गया। जिसपर दोंनों पक्षों द्वारा नापी प्रतिवेदन पर आपति दी गई और

अंचल अमीन से नापी कराने का अनुरोध किया गया। उभय पक्ष के सहमति से विवादित भूमि की नापी श्री रवि शंकर सिन्हा अंचल अमीन अरवल एवं श्री जय राम प्रसाद अंचल अमीन सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को प्रतिनियुक्त करते हुए नापी कराई गई। अंचल अमीन ने संयुक्त नापी प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि:–

(1) विवादित भूमि पर उपस्थित लोगों के समक्ष सर्वे यांत्रिक की जॉच की गई जो सही–सही पाया गया। सर्वे पैमाईश के कम में प्लॉट संख्या–2729 का उतरी आड़–108 कड़ी के स्थान पर 98 कड़ी सरजमीन में पाया गया है शेष 10 कड़ी भूमि प्लॉट संख्या–8131 में मिला हुआ पाया गया। इसी प्रकार प्लॉट संख्या–2729 का दक्षिणी आड़ 110 कड़ी के स्थान पर 105 कड़ी सरजमीन पर पाया गया शेष 05 कड़ी भूमि प्लॉट संख्या–8131 में मिला हुआ पाया गया। इस प्रकार प्लॉट संख्या–2729 का पूर्वी अंश भू–भाग जिसकी लम्बाई 85 कड़ी है तथा चौड़ाई उतर 10 कड़ी एवं दक्षिण 05 कड़ी औसत चौड़ाई 07.5 कड़ी अर्थात् क्षेत्रफल 85 कड़ी X 0.7.5 कड़ी = 637.5 वर्गकड़ी भूमि प्लॉट संख्या–8131 में मिला हुआ पाया गया जो प्लॉट संख्या–8131 द्वितीय पक्ष के भूमि में मकान मय सहन के रूप में सरजमीन पर कायम है।

प्लॉट संख्या–8130 का दक्षिणी अंश भू–भाग जिसकी लम्बाई 128 कड़ी तथा चौड़ाई पूरब में अंश भूमि 08 कड़ी तथा पश्चिम में जीरों (शून्य) कड़ी यानि औसत चौड़ाई 04 कड़ी अर्थात् क्षेत्रफल = लम्बाई X चौड़ाई 04 कड़ी = 512 वर्गकड़ी भूमि प्लॉट संख्या–8131 के उतरी भू–भाग में मिला हुआ पाया गया जो प्लॉट संख्या–8131 द्वितीय पक्ष की भूमि है जो सरजमीन पर कायम है।

निष्कर्षत आवेदक प्रथम पक्ष की भूमि प्लॉट संख्या–2729 का पूर्वी अंश भू–भाग रकवा–637.5 वर्गकड़ी, द्वितीय पक्ष के प्लॉट संख्या–8131 के पश्चिमी अंश भू–भाग में बढ़कर मिला हुआ सरजमीन पर कायम पाया गया तथा प्रथम पक्ष की भूमि प्लॉट संख्या–8130 का दक्षिणी अंश भू–भाग रकवा–512 वर्गकड़ी भूमि द्वितीय पक्ष के प्लॉट संख्या–8131 के उतरी अंश भू–भाग में बढ़कर मिला हुआ सरजमीन पर कायम पाया गया। इस प्रकार प्रथम पक्ष का नक्शानुसार प्लॉट संख्या–2729 का अंश रकवा–637.5 वर्गकड़ी तथा प्लॉट संख्या–8130 का रकवा–512 वर्गकड़ी भूमि द्वितीय पक्ष के प्लॉट संख्या–8131 में मिला हुआ पाया गया।

अतः विवादित भूमि न्यायालय द्वारा संयुक्त अंचल अमीन अरवल एवं सोनभद्र वंशी सूर्यपूर द्वारा नापी कराई गई। नापी प्रतिवेदन पर उभय पक्ष का हस्ताक्षर है। परन्तु खाता संख्या–342, प्लॉट संख्या–8130 से संबंधित वादी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नही किया है एवं संयुक्त नापी प्रतिवेदन में भूमि से कोई उल्लेख नही है कि भूमि रैयति है या वकास्त। विवादित भूमि से संबंधित कोई भी राजस्व रसीद अभिलेख में संलग्न नही किया गया है। इस आधार पर मॉगे गये अनुतोष स्वीकृत नही किया जाता है। वाद खारीज किया जाता है। विवादित भूमि रैयति है जिसमें स्वत्व एवं अधिकार से संशलिस्ट का प्रश्न भी निहित है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा C.W.J.C.NO-1091/2013 महेश्वर मंडल एवं अन्य वनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 31.07.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में दायर वाद पोषणीय नही है। पक्षकार विचारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर अपना अनुतोष प्राप्त कर सकते है। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21/03/2022

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

21/03/2022

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।